मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
ई–5 पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, भोपाल

क्रमांक 5548 /स्था/प्रनिबो/2015 भोपाल, दिनांक 2-11-15

-: कार्यालय आदेश :-

बोर्ड द्वारा ऑनलाईन पद्धति से सिंगल विन्डो प्रणाली से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 एवं परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन एवं सीमा पार परिचालन) नियम 2008 के अन्तर्गत कॉमन एकीकृत आवेदन पर जल, वायु एवं परिसंकटमय अपशिष्ठ के अन्तर्गत अनुमति जारी की जाती हैं ।

बोर्ड के आदेश क्रमांक 2327 दिनांक 14/10/2014 एवं आदेश क्रमांक 2128 दिनांक 20/8/2015 द्वारा उक्त अनुमति/स्थापना सम्मति जारी करने की समय–सीमा 45 दिन की सीमा निर्धारित की गई है। उक्त समय–सीमा जल एवं वायु अधिनियम के उत्पादन सम्मति एवं सम्मति नवीनीकरण तथा खतरनाक अपशिष्ठ नियम के अन्तर्गत प्राधिकार/प्राधिकार नवीनीकरण प्रकरणों हेतु भी लागू निर्धारित की जाती है ।

आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगे ।

(ए0 ए0 मिश्रा)
सदस्य सचिव

पृ0क्रमांक 5549 /स्था/प्रनिबो/2015 भोपाल,दिनांक 2-11-15

प्रतिलिपि :-

1 प्रमुख सचिव, म0 प्र0 शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।

2 निज सचिव, अध्यक्ष/ म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल ।

3 समस्त यूनिट हेड, तकनीकी शाखा, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

4 समस्त क्षेत्रीय अधिकारी,क्षेत्रीय कार्यालय,म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

5 आईटी शाखा/गार्ड फाइल/व्यक्तिगत नस्ति।

6 गार्ड फाईल ।

(ए0 ए0 मिश्रा)
सदस्य सचिव